



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-309/2022

दिनांक- 19-सितम्बर-2022

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- मेहनगर

गैर इरादतन हत्या का वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – वादी श्री सोत्तम S/O स्व0 सुखनन्दन निवासी कुसमुलिया थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी की मेरा पुत्र सोनू व विपक्षी रोहित पुत्र सुबेदार सा0 कुसमुलिया थाना मेहनगर आजमगढ़ जो दोनो नशे मे थे बकाया रुपया मांगने की बात को लेकर आपस में वाद विवाद करने लगे , विपक्षी रोहित द्वारा मेरे पुत्र सोनू को धक्का दे दिया गया जिससे सोनू जो शराब के नशे मे था लड़खड़ाकर खडन्जा मार्ग पर गिर गया जिससे की सोनू के सिर के पीछे /अन्दरूनी चोट लग गई तथा अगले दिन सोनू की मृत्यु अस्पताल मे ले जाने के दौरान हो गयी, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 290/22 धारा 304 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ0 नि0 कन्हैया लाल मौर्या द्वारा प्रचलित है।

2. गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक- 19.09.2022 को उ0 नि0 कन्हैया लाल मौर्य मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. रोहित पुत्र सुबेदार सा0 कुसमुलिया थाना मेहनगर आजमगढ़ को ग्राम कुसमुलिया से समय करीब 09.05 बजे गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है

गिरफ्तारी का स्थान व समय – ग्राम कुसमुलिया समय करीब 0905 बजे दिनांक 19.9.22

पंजीकृत अभियोग – मु0 अ0 सं0 290/22 धारा 304 भादवि थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मु0 अ0 सं0 184/21 धारा 323/504/325 भादवि थाना मेहनगर

मु0 अ0 सं0 290/22 धारा 304 भादवि थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त - 1- रोहित पुत्र सुबेदार सा0 कुसमुलिया थाना मेहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0 नि0 कन्हैया लाल मौर्य का0 धर्मवीर प्रजापति थाना मेहनगर आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 03 गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक- 18.09.2022 को वादी श्री राम सिंह उर्फ रामकुमार सिंह पुत्र स्व0 रमाशंकर सिंह ग्राम भगतपुर पो0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि समय करीब 01 बजे दिन में अभि0 रविन्द्र पुत्र महेन्द्र सा0 जमुआ सागर, थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ आदि 03 नफर व 05 व्यक्ति अज्ञात द्वारा धन रूपया पैसा का लालच देकर धर्म परिवर्तन ईसाई मिशनरी कराने के सम्बन्ध में दिया गया था जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 207/2022 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधि0- 2021 बनाम (1) रविन्द्र (2) महेन्द्र पुत्रगण दुख्खी राम (3) सनोज कुमार पुत्र मध्धू निवासीगण ग्राम जमुआ सागर थाना बिलरियागंज (4) 03 पुरुष व 02 महिलाएं नाम पता पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 19.09.2022 को उ0नि0 राम प्रसाद मय फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त (1) रविन्द्र (2) महेन्द्र पुत्रगण दुख्खी राम निवासीगण ग्राम जमुआ सागर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, (3) सनोज कुमार पुत्र मध्धू निवासी ग्राम जमुआ सागर थाना बिलरियागंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर जमुआ सागर से समय करीब 11.40 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 04 अदद पुस्तक पवित्र बाइबल बरामद किया गया। अन्य वैधानिक कार्यावही अमल मे लायी जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता -

(1) रविन्द्र (2) महेन्द्र पुत्रगण दुख्खी राम निवासीगण ग्राम जमुआ सागर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

(3) सनोज कुमार पुत्र मध्धू निवासी ग्राम जमुआ सागर थाना बिलरियागंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

1. 04 अदद पुस्तक पवित्र बाइबल।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 207/2022 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधि0- 2021 थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 राम प्रसाद हे0का0 सुनील सिंह का0 अनिरुद्ध मौर्य म0का0 शिखा पाण्डेय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना पवई

चेकिंग के दौरान अवैध गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार; कई मुकदमा दर्ज ।

दिनांक 19.9.2022 को थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह द्वारा चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति व वाहन मुतकल्लीपुर अण्डर पास में मामूर थे कि इसी दौरान एक सफेद रंग की अपाचे मोटरसाईकिल नंबर यूपी50सीसी7924 जिस पर दो व्यक्ति सवार होकर तेजी से मुतकल्लीपुर रोड से आ रहे थे अचानक अण्डरपास के पास पहुंचे तो जैसे ही पुलिस वालों पर नजर पडी अचानक गाडी को तेजी से पीछे की तरफ मोडकर भागना चाहा कि घबडाहट में हडबडाकर गाडी सहित दोनों सवार गिर पडे इस घटना को देखकर तत्काल पुलिस वाले दौडकर गाडी के पास पहुंचकर दोनों को पकडकर लिया गया। जो व्यक्ति मोटर साईकिल चला रहा था वह अपना नाम ऋषभ यादव पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम भानीपुर थाना पवई आजमगढ़ व दूसरा व्यक्ति जो एक झोले के साथ मोटरसाईकिल में पीछे बैठा था अपना नाम अर्पित मौर्य पुत्र बाबूराम मौर्य निवासी मुतकल्लीपुर थाना पवई जिला आजमगढ़ बताया उसके कब्ज से कुल 7.750 किलो गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो को समय करीब 11.32 बजे मे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 278/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान न्यायालय जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग: मु0अ0स0 278/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पवई आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:- ऋषभ यादव पुत्र रमेश यादव

1. मु0अ0स0 99/22 धारा 308/323/336/427/504 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5ए SC/ST Act

2. मु0अ0स0 278/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पवई आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:- अर्पित मौर्य पुत्र बाबूराम मौर्य थाना पवई आजमगढ़

1. मु0अ0स0 199/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पवई आजमगढ़

2. मु0अ0स0 249/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़

3. मु0अ0स0 179/20 धारा 120बी/376/504/506 भादवि थाना पवई आजमगढ़

4. मु0अ0स0 99/22 धारा 308/323/336/427/504 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5ए SC/ST Act

5. मु0अ0स0 278/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पवई आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:—

1. ऋषभ यादव पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम भानीपुर थाना पवई आजमगढ़

2. अर्पित मौर्य पुत्र बाबूराम मौर्य निवासी मुतकल्लीपुर थाना पवई आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार दूबे उ0नि0 पवन कुमार सिंह का0 विपिन यादव का0 दमन पाण्डेय का0 अनिल यादव थाना पवई आजमगढ़।

थाना-निजामाबाद

मारपीट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 25.06.2022 को वादी मुकदमा संतोष यादव पुत्र लालधारी यादव ग्रा0 नछछनपुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा विपक्षी द्वारा पूरानी रंजिश को लेकर फोन द्वारा धमकी देने और वादी के नाना को विपक्षीगण दीपक उर्फ सौरभ पुत्र रविन्द्र यादव ग्रा0 कोटवा थाना रानी की सराय आजमगढ़, कृष्णानन्द उर्फ कृष्णमूरत उर्फ टुनटुन तिवारी पुत्र रामप्रकाश ग्रा0 मल्लूपुर मझगावा थाना राजेसुल्तानपुर जि0 अम्बेडकरनगर तथा मुन्ना उर्फ बिनोद ग्रा0 अरया थाना निजामाबाद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ वादी के नाना के उपर हमला कर पैर फैक्चर कर दिया गया, के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 260/22 धारा 323/325/308/507/352 भा0द0वि0 बनाम कृष्णानन्द उर्फ कृष्णमूरत उर्फ टुनटुन तिवारी पुत्र राम प्रकाश तिवारी ग्रा0 मल्लूपुर मझगावा थाना राजेसुल्तानपुर जि0 अम्बेडकरनगर आदि 03 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है।

2. गिरफ्तारी का विवरण थाना निजामाबाद के उ0 नि0 चौकी प्रभारी रशीदांज मो0 शमशाद खां मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभि0 कृष्णानन्द उर्फ कृष्णमूरत उर्फ टुनटुन तिवारी पुत्र रामप्रकाश तिवारी ग्राम मल्लूपुर मजगांवा थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अंबेडकरनगर को शेरपुर तिराहे के पास से समय 12.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0स0 260/22 धारा 323/325/308/507/352 भा0द0वि0 थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- 1. कृष्णानन्द उर्फ कृष्णमूरत उर्फ टुनटुन तिवारी पुत्र रामप्रकाश तिवारी ग्राम मल्लूपुर मजगांवा थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अंबेडकनगर

आपराधिक इतिहास- 1. मु0अ0सं0 116/18 धारा 406/504/506 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 मो0 शमशाद खा का0 रजत त्रिपाठी का0 मुरारी जायसवान थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना- रानी की सराय

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक 21.07.2022 को उ0नि0 अजय प्रताप सिंह मय हमराह को सूचना मिली थी कि चकखैरुल्लाह तिराहे पर सुनसान जगह पर कुछ बदमाश लूट की योजना बनाने के लिए इकट्ठे हुये है, उक्त सूचना पर अलग अलग दो टीम बनाकर पैदल पैदल चलकर चकखैरुल्लाह तिराहे की ओर बढ़े। चकखैरुल्लाह तिराहे के पास बाये साइड में सुनसान जगह पर एक टाटा मैजिक UP50AT5414 खड़ी मिली मौके पर मौजूद व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे कि रात अधिक हो गयी है यही किसी गाड़ी को रोककर ड्राइवर से लूट कर लिया जाए। दोनों टीम की मदद से एकाएक उन्हें घेरकर टार्च की रोशनी डाली गयी तो कुछ लोग हड़बड़ा कर भागने का प्रयास करने लगे। जिन्हे घेर कर पकड़ने का प्रयास किया गया मौके पर तीन व्यक्ति पकड़ लिये गये। शेष चार व्यक्ति अन्धेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गये। पकड़े गये व्यक्तियों से बारी बारी नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो तीनों अभियुक्तों ने अपना नाम क्रमशः 1. त्रिलोकी नाथ यादव पुत्र फिरतू यादव निवासी ग्राम ईश्वरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, 2. सूरज कुमार पुत्र फौजदार ग्राम खलिलाबाद थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, 3. यशवन्त कुमार पुत्र विष्णु ग्राम सैफपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ बताया। तीनों की जामा तलाशी से एक अदद तमन्चा 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक लम्बा पेचकस, एक प्लास, गाड़ियों की चाभी का गुच्छा बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की गयी तो बताये कि साहब हमलोगो की 7, 8 लोगो की गैंग है जो देर रात में इसी मैजिक से निकलते है तथा सुनसान जगह पर खड़े होकर इन्तजार करते है जैसे ही कोई वाहन आता है उसे रोककर चालक को तमन्चा व लाठी डण्डा दिखाकर लूट लेते है। सुनसान जगह पर खड़े वाहन के केविन को पेचकस व तार व प्लास की मदद से खोलकर लूटपाट कर लेते है। सुनसान जगह पर बने मकान की तलाश कर जब उस मकान में कोई नहीं रहता है तो ताला तोड़कर उस मकान से हमलोग लूटपाट कर लेते है। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 230/2022 धारा 399/402/420/467/468/471 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक 19.09.2022 को निरीक्षक निशात जमा खाँ मय हमराह द्वारा मुकमदा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मंजीत गौड़ पुत्र जितेन्द्र गौड़ ग्राम खैरपुर जगजीवन थाना रानी क सराय जनपद आजमगढ़ को बेलईसा चौराहे से समय करीब 10.55 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 230/2022 धारा 399/402/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- - मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त -

मंजीत गौड़ पुत्र जितेन्द्र गौड़ ग्राम खैरपुर जगजीवन थाना रानी क सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

निरीक्षक निशात जमा खाँ मय हमराह का0 रामक्यास कन्नौजिया व का0 प्रमोद यादव थानारानी की सराय जनपद आजमगढ़।